LEVEL PLAYING NEEDED FOR CATV

The Parliament Committeehas raised concerns over the decline in cable TV subscribers & stressed the need to create a level-playing field in the sector

The Parliamentary Standing Committee has raised concerns over the decline in cable TV subscribers & stressed the need to create a level-playing field in the sector.

The Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology (SCCIT) asked the central government to bring in a comprehensive Act for regulating the industry and creating a level playing field for all broadcasting services.

The panel made the recommendations while expressing concerns over a continuing decline in cable TV subscribers.

In its 56th report on 'Regulation of Cable Television in India', submitted in both Houses of the Parliament, the standing committee told the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) that the Cable TV industry needs to be regulated through a comprehensive Act.

"As submitted by MIB, there is an urgent need for creating a level playing field for all broadcasting services as well as for addressing the need for satellite-based technologies, which are being regulated through the old legislation. The Committee believes the Cable TV industry needs to be regulated through a comprehensive Act and therefore it recommends the ministry to ensure that the proposed 'Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023' sees the light of the day at the earliest since it will go a long way in resolving the concerns of this industry," the parliamentary panel said.

The committee has also asked the ministry to ensure adequate consultations are done with all concerned stakeholders.

It has recommended that all aspects concerning the cable industry must be taken into consideration while bringing in the comprehensive bill. One of the biggest concerns of the cable TV industry has been pricing of channels by broadcasters and the negative impact on the cable tv industry, the panel said. ■

सीएटीवी के लिए एक समान अवसर की जरूरत

संसदीय समिति ने केबल टीवी ग्राहकों में गिरावट पर चिंता जतायी है और इस क्षेत्र में समान अवसर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

संसद की स्थायी समिति ने केबल टीवी ग्राहकों में गिरावट पर चिंता जतायी है और इस क्षेत्र में समान अवसर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति (एससीसीआईटी) ने केंद्र सरकार से उद्योग को विनियमित करने और सभी प्रसारण सेवाओं के लिए समान अवसर बनाने के लिए व्यापक अधिनियम लाने के लिए कहा है।

पैनल ने केबल टीवी ग्राहकों में लगातार गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए ये सिफारिशें की।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत 'भारत में केबल टेलीविजन के विनियमन' पर अपनी **56**वीं रिपोर्ट में, स्थायी समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय (आईएंडबी) से कहा कि केबल टीवी उद्योग को एक व्यापक अधिनियम के माध्यम से विनियमित करने की आवश्यकता है।

'जैसाकि एमआईबी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सभी प्रसारण सेवाओं के लिए एक समान अवसर बनाने के साथ-साथ सैटेलाइट आधारित प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता है, जिन्हें पुराने कानून के माध्यम से विनियमित किया जा रहा है। समिति का मानना है कि केबल टीवी उद्योग को एक व्यापक अधिनियम के माध्यम से विनियमित करने की आवश्यकता है और इसलिए यह मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि प्रस्तावित 'प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, **2023** जल्द से जल्द लागू किया जाये, क्योंकि यह इस उद्योग की चिंताओं को दूर करने में काफी मदद करेगा।

समिति ने मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी संबंधित हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श किया जाये।

इसने सिफारिश की है कि व्यापक विधेयक लाते समय केबल उद्योग से संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पैनल ने कहा कि केबल टीवी उद्योग की सबसे बड़ी चिंताओं में एक प्रसारकों द्वारा चैनलों की कीमत और केबल टीवी उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव है। ■